भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1159
(11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एनएसएपी के अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन

1159. डॉ. बायरेड्डी शबरी:
श्री जी. सेल्वमः
श्री नवसकनी के.:
श्री सी. एन. अन्नादुरई:
श्री जी. लक्ष्मीनारायण:
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पेंशन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके नाम क्या हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान , एनएसएपी के प्रत्येक घटक और एनएसएपी के प्रत्येक घटक के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार और जिलावार संख्या कितनी है;

(ग) क्या एनएसएपी ने गरीबों को सामाजिक सहायता प्रदान करने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की गरीबी कम करने की दिशा में इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) ऐसी अवधि के दौरान एनएसएपी की प्रत्येक योजना के अंतर्गत आवंटित , वितरित और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रत्येक पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता राशि शुरू में कब तक निर्धारित की गई थी और सभी संशोधनों की समय-सीमा, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(च) पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए , एनएसएपी के कार्यान्वयन में विसंगतियों या त्रुटियों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र क्या हैं;

(छ) क्या एनएसएपी का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन या आकलन किया गया है और यदि हां , तो ऐसे मूल्यांकनों के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं; और

(ज) क्या एनएसएपी के कार्यान्वयन में किसी प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है और यदि हां, तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और ऑनलाइन लाभार्थी प्रबंधन प्रणालियों जैसे उपायों का ब्यौरा क्या है और ऐसे उपायों से पारदर्शिता और दक्षता में कितना सुधार हुआ है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत पेंशन योजनाओं का ब्यौरा और नाम **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) एनएसएपी के तहत, वर्ष 2012 से, पूरे देश के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और योजना-वार सीमा के साथ 3.09 करोड़ लाभार्थियों की कुल सीमा रखी गई है, जो अब तक जारी है। आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए योजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है। दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों की पहचान के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिम्मेदार हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय निधियाँ लाभार्थियों की डिजिटल संख्या या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सीमा, जो भी कम हो, के आधार पर जारी की जाती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऊपर से नीचे तक निधि के आगे प्रवाह से लेकर जिला/ब्लॉक आदि में लाभार्थियों तक वितरण तक के लिए जिम्मेदार हैं।

(ग) और (छ) समय-समय पर , एनएसएपी योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रभाव आकलन और मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों के निष्कर्षों के अनुसार, एनएसएपी के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता लाभार्थियों की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक रही है। सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ इस कार्यक्रम ने गरीबों और निराश्रितों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

(घ) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएसएपी के अंतर्गत जारी निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ङ) वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन राशि के प्रारंभिक निर्धारण का वर्ष क्रमशः 1995, 2009 और 2009 है। योजना दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित

सहायता के संशोधन के लिए कोई विशिष्ट समयसीमा नहीं है। हालाँकि , वृद्धावस्था योजना के तहत पेंशन राशि को वर्ष 2007 में 75 रुपये से संशोधित कर 200 रुपये कर दिया गया था। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन को वर्ष 2011 में बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया था। इसके अलावा, विधवा पेंशन और विकलांगता पेंशन के तहत सहायता को वर्ष 2012 में 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया था।

(च) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनएसएपी योजनाओं की समीक्षा और निगरानी कार्य निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) , नोडल अधिकारियों की बैठकों , क्षेत्रीय अधिकारियों के दौरों, सामाजिक लेखा परीक्षा और राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं (एनएलएम) द्वारा नियमित और विशेष निगरानी के माध्यम से की जाती है।

(ज) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) विधि के लिए संपूर्ण डिजिटल टूल के रूप में प्रचालित वेब आधारित पेंशन भुगतान पोर्टल (एनएसएपी-पीपीएस) से पीएफएमएस के माध्यम से पेंशन के संवितरण से लाभार्थी को सीधे पेंशन सहायता का त्वरित और कुशल संवितरण सुनिश्चित करने में मदद मिली है। एनएसएपी के तहत 90% से अधिक पेंशन का वितरण डीबीटी विधि के माध्यम से किया जाता है। आधार/मोबाइल सीडिंग के साथ-साथ लाभार्थी डेटा के डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप लाभार्थियों के दोहराव और संसाधनों की रिसाव को दूर किया गया है।

****

अनुबंध-I

योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1159 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) केअंतर्गत पेंशन योजनाओं का ब्यौरा और नाम

- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - 60-79 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को ₹ 200/- प्रतिमाह तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को ₹ 500/- प्रतिमाह की सहायता। वर्तमान में इसके अंतर्गत, 221 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल हैं।

- राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना - 40-79 वर्ष आयु वर्ग की विधवाओं को ₹ 300/- प्रतिमाह तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की विधवाओं को ₹ 500/- प्रतिमाह की सहायता। वर्तमान में इसके अंतर्गत, 67 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल हैं।

- राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना - गंभीर या बहु विकलांगता वाले 18-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को ₹300/- प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को ₹500/- प्रति माह की सहायता। वर्तमान में इसके अंतर्गत, 8.8 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल हैं।

अनुबंध- II

योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1159 के भाग में (ख) संदर्भित अनुबंध

एनएसएपी के अंतर्गत राज्य-संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की अधिकतम सीमा

क्र सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या					
		एनओएपी एस	एनडब्ल्यू पीएस	एनडी पीएस	एनएफ बीएस	अन्नपूर्णा	कुल
1	आंध्र प्रदेश	663736	246832	24412	10906	54354	1000240
2	बिहार	3157256	635091	127100	35859	166600	4121906
3	छत्तीसगढ़	644429	203628	32085	12801	24196	917139
4	गोवा	7308	5886	466	225	420	14305
5	गुजरात	620548	276078	20327	10695	35377	963025
6	हरियाणा	259865	70808	16583	4154	एनआई	351410
7	हिमाचल प्रदेश	93178	21974	853	684	2644	119333
8	झारखंड	985094	266077	26349	14148	54939	1346607
9	कर्नाटक	899422	452027	44825	18312	एनआई	1414586
10	केरल	458813	320715	66928	4358	36904	887718
11	मध्य प्रदेश	1575079	546920	101470	30826	एनआई	2254295
12	महाराष्ट्र	1122920	80725	9322	34987	108000	1355954
13	ओडिशा	1418631	525045	90283	24697	64800	2123456
14	पंजाब	112955	19294	5982	2673	एनआई	140904
15	राजस्थान	823972	315048	30513	12347	47500	1229380
16	तमिलनाडु	1282504	574258	64096	18445	66388	2005691
17	तेलंगाना	480315	180720	20578	7794	38846	728253
18	उत्तर प्रदेश	4722613	1025236	85773	73075	एनआई	5906697
19	उत्तराखंड	204557	23898	2880	4808	एनआई	236143

20	पश्चिम बंगाल	1281159	726172	59941	21553	65068	2153893
पूर्वोत्तर राज्य							
21	अरुणाचल प्रदेश	5893	288	112	346	1840	8479
22	असम	695997	119955	34579	8524	25308	884363
23	मणिपुर	55891	7075	1005	669	3320	67960
24	मेघालय	55734	8024	1558	781	3580	69677
25	मिजोरम	24524	2278	722	197	1000	28721
26	नागालैंड	45941	3827	1011	535	2600	53914
27	सिक्किम	16928	1469	457	175	960	19989
28	त्रिपुरा	135232	17537	2131	984	5740	161624
संघ राज्य क्षेत्र							
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	585	3	2	86	560	1236
30	चंडीगढ़	2378	2486	100	80	440	5484
31	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव	8754	2109	310	119	358	11650
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	113824	36361	4635	2270	8040	165130
33	जम्मू और कश्मीर	130298	7631	2465	323	10220	150937
34	लद्दाख	6486	443	219	112	3002	10262
35	लक्षद्वीप	155	87	51	9	60	362
36	पुदुचेरी	17713	9821	1271	283	1580	30668
	कुल	**22130687**	**6735826**	**881394**	**358840**	**831642**	**30938389**

एनआई : कार्यान्वित नहीं किया गया।

अनुबंध- III

योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1159के भाग) घ (में संदर्भित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिनांक 06.02.2025 की स्थिति अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधि

रुपये करोड़ में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईजीएनओएपीएस						आईजीएनडब्ल्यूपीएस					
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	195.18	186.77	141.55	194.75	253.72	171.75	91.07	91.07	68.3	91.07	114.29	70.3
2	बिहार	948.89	1000.02	998.05	1006.18	1153.55	861.96	203.12	203.12	233.45	235.34	235.49	203.04
3	छत्तीसगढ़	186.42	98.55	183.58	187.69	190.63	193.63	65.48	45.23	70.56	73.06	75.03	75.73
4	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	गुजरात	173.64	173.64	130.23	173.64	183.06	137.62	19.03	78.81	40.49	0	0	0
6	हरियाणा	88.84	34.96	0	180.39	0	0	21.19	7.98	0	43.77	0	0
7	हिमाचल प्रदेश	37.32	39.34	9.85	29.56	72.91	0	6.67	6.67	1.67	5	14.26	0

8	जम्मू और कश्मीर	21.92	22.88	35.07	19.26	73.13	15.49	1.13	1.24	2.02	1.41	4.87	1.61
9	झारखंड	202.64	206.38	327.09	202.62	196.36	173.79	50.14	75.53	120.56	99.18	72.98	55
10	कर्नाटक	295.97	300.73	291.52	232.42	303.75	0	170.6	170.6	167.61	159.46	133.87	0
11	केरल	68.49	175.96	0	0	366.66	78.64	38.79	96.98	0	0	204.3	52.6
12	मध्य प्रदेश	304.31	465.46	392.16	663.28	578.58	622.81	187.4	190.35	149.18	244.79	202.8	214.89
13	महाराष्ट्र	307.01	305.48	241.31	135.68	0	407.17	0	15.58	19.65	13.5	0	43.21
14	ओडिशा	421.56	351.85	417.15	412.31	406.55	128.48	195.12	206.12	188.37	195.99	193.29	87.36
15	पंजाब	32.86	36.03	8.47	0	9.35	17.82	0	5.77	1.71	0	3.58	3.45
16	राजस्थान	249.76	251.48	65.86	358.24	211.41	332.19	59.33	66.87	25.84	162.35	86.69	160.82
17	तमिलनाडु	350.23	201.26	589.85	203.98	427.97	311.98	192.7	96.35	218.02	236.23	214.96	149.32
18	तेलंगाना	69.7	213.17	71.74	144.89	112.23	0	32.54	97.63	32.54	65.09	49.3	0
19	उत्तर प्रदेश	1230.55	1247.08	1272.82	1473.63	1257.23	1425.52	135.4	135.6	180.11	190.08	0	341.55
20	उत्तराखंड	41.25	98.76	48.42	0	77.79	74.19	3.84	11.51	2.4	11.64	8.86	8.93
21	पश्चिम बंगाल	560.93	367.05	240.96	381.44	567.02	345.39	234.26	217.49	179.26	203.9	340.94	203.42
22	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	8.34	0	0	0	0	0	0.51	0

23	असम	241.55	253.8	247.6	254.44	234.92	181.61	42.32	42.6	41.61	42.18	42.61	32.08
24	मणिपुर	16.22	25.92	4.29	22.39	13.28	18.82	1.86	3.08	0.51	2.71	1.78	2.63
25	मेघालय	10.92	17.19	8.69	17.92	18.23	13.78	1.85	3.15	1.47	2.74	2.89	2.26
26	मिजोरम	9.26	9.35	4.72	9.3	9.23	9.24	0.71	0.71	0.36	0.76	0.83	0.86
27	नागालैंड	18.09	18.47	14.16	9.77	15.34	21.22	1.38	1.38	0.69	1.72	0.7	1.78
28	सिक्किम	4.89	8.17	0	7.04	0	0	0.42	0.81	0	0.68	0	0
29	त्रिपुरा	56.37	9.85	22.98	25.31	37.26	26.68	9.28	2.69	3.71	4.21	4.99	6.04
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0.79	0	0	0	0	0	0.27	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	40	23.04	34.1	0	0	68.17	5.69	2.85	17.28	0	0	0
34	लद्दाख	0.95		0	3.03	0	2.57		0.09	0	0.15	0	0.37
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	8.64	8.22	4.18	0	0	0	3.16	3.16	1.81	0	0	0

	कुल	6193.38	6152.61	5806.39	6349.17	6778.48	5640.53	1774.94	1881.28	1769.19	2087	2009.8	1717.24

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिनांक 06.02.2025 का स्थिति अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियां

रुपये करोड़ में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईजीएनडीपीएस						एनएफबीएस					
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	9.05	9.05	6.79	9.05	11.32	6.96	22.47	22.47	16.85	22.47	28.08	16.85
2	बिहार	44.7	44.7	46.78	46.78	47.13	39	32.97	0	0	0	36.93	9.26
3	छत्तीसगढ़	11.59	8.9	11.85	11.86	11.89	11.91	26.37	5.22	11.68	27	0	16.88
4	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	गुजरात	4	4.59	5.72	8.44	7.53	5.65	14.13	16.52	11.13	16.52	16.52	8.49
6	हरियाणा	4.28	1.54	0	8.91	0	0	8.43	1.69	0	17.13	0	0
7	हिमाचल प्रदेश	0.32	0.32	0.08	0.24	0.55	0	1.41	1.06	0.7	1.06	2.47	0
8	जम्मू और कश्मीर	0.32	0.28	0.67	0.45	2	0.63	0.44	0.17	0	0	0	0
9	झारखंड	9.07	7.12	12.2	9.83	7.25	2.47	9.76	0	11.89	30.03	0	2.6
10	कर्नाटक	16.18	16.18	16.18	15.74	12.91	0	37.72	37.72	18.86	27.73	0	0

11	केरल	5.55	13.87	0	0	31.18	0	0	1.78	0	0	0	0
12	मध्य प्रदेश	28.94	35.5	27.52	45.23	37.63	37.96	54.9	15.31	31.75	57.09	8.9	0
13	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	28.29	19.95	34.91	21.97	0	0
14	ओडिशा	22.42	33.31	31.82	33.65	33.16	13.36	16.6	30.42	16.3	38.63	52.48	31.64
15	पंजाब	0	1.74	0.45	0	1.11	1	0	3.84	0.51	0	1.38	0.62
16	राजस्थान	2.33	10.94	2.08	15.5	7.1	11.1	0	0	0	0	0	0
17	तमिलनाडु	16.16	10.61	34.06	17.59	23.69	16.37	19	19	0	19	9.34	8.17
18	तेलंगाना	3.23	9.7	3.24	6.47	5.14	0	0	3.18	0	0	0	0
19	उत्तर प्रदेश	27.15	20.36	13.96	20.94	22.88	8.04	150.53	142.7	150.53	150.53	112.9	164.24
20	उत्तराखंड	0.52	1.31	0.27	1.3	1.07	1.07	4.95	1.96	0	0	1.42	1.77
21	पश्चिम बंगाल	16.37	22.78	13.87	11.31	32.34	15.19	44.4	44.39	27.1	25.91	62.89	33.3
22	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0
23	असम	7.01	7.01	7.01	12.93	12.29	9.26	0	0	0	0	0	0
24	मणिपुर	0.37	0.56	0.09	0.47	0.27	0.32	0.69	2.07	0.34	1.72	1.03	0.16
25	मेघालय	0.3	0.36	0.17	0.47	0.56	0.44	0.8	0	0.8	0	0	0
26	मिजोरम	0.15	0.15	0.07	0.2	0.26	0.27	0.41	0.41	0.2	0.41	0.3	0.51
27	नागालैंड	0.36	0.36	0.27	0.36	0.28	0.38	1.1	1.1	0.83	1.1	0.83	1.1
28	सिक्किम	0.17	0.25	0	0.21	0	0	0.33	0.09	0	0.22	0	0

29	त्रिपुरा	1.12	0.33	0.49	0.51	0.74	0.55	1.01	1.01	1.01	0	1.01	0
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2.34	1.17	1.76	0	0	1.67	4.68	2.34	3.51	0	0	1.17
34	लद्दाख		0.01	0	0.13	0	0.1	0	0.1	0.33	0.37	0	0.44
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0.47	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**234.47**	**263.14**	**237.4**	**278.57**	**310.47**	**183.71**	**481.39**	**374.49**	**339.25**	**458.88**	**336.48**	**297.18**